न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी संख्या 59/2018

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
रूघाराम पुत्र भीकाराम जाति जाट, निवासी बेडकलां, तहसील जैतारण, जिला पाली		1. ग्राम पंचायत बेड कलां पंचायत समिति जैतारण जरिये सरपंच 2. हेमराज जाट पुत्र भेराराम जाट जाति जाट निवासी बेड कलां, तहसील जैतारण, जिला पाली

<u>पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994</u>

उपस्थिति :–
अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्यामसिंह सोलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक 20.02.2020

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत बेडकला पंचायत समिति जैतारण द्वारा मिसल संख्या .... दिनांक..... संकल्प संख्या 01 दिनांक 28.08.1990 एंव उसकी पालना में अप्रार्थी हेमाराम पुत्र भेराराम जाट के पक्ष में जारी पट्टा संख्या दिनांक 28.08.1990 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत बेड कलां का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 हेमा के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पुर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित नही किया गया । मिसल कायम नही की गई अप्रार्थी को जारी पट्टे पर बुक संख्या, पट्टा संख्या मिसल संख्या किसी का भी अंकन नही है अप्रार्थी को जारी पट्टे का नाप 50X20 फिट है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम बेडकलां के खसरा नम्बर 632 रकबा 20 बीघा की भुमि पर आबादी परिवर्तन कर अलग–अलग भुखण्डों को विभाजित कर नक्शा प्लान बनाकर निलामी से विक्रय किए गये थे उनमे प्लाट नम्बर 14 हेमाराम का है जिसका नाप त्रिभुजाकार है जिसकी दो भुजाएं 100फिट एवं एक भुजा 60 फिट दर्शायी गई है। उक्त आराजी के पड़ोस का भी पट्टे में अंकन नही है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव रजिस्टर भी नही होने बाबत पत्रांक 565 दिनांक 20.8.2013 के प्रार्थी रूघाराम को लिखा है। उक्त जैर निगरानी आराजी के पडौस उत्तर में नहर दक्षिण तरफ प्लॉट संख्या 13 एंव पूर्व में गरनिया का रास्ता अंकित है। प्लाट नम्बर 13 दक्षिण में भीकाराम के नाम से पट्टा जारी किया हुआ है। जो पंचायत की पत्रावली में सलंग्न नक्शा एंव आदेशिका दिनांक 27.08.1990 में अंतिम बोलीदाता का प्लाट वाईज मिसल कार्यवाही विवरण में वर्णित है तथा उसका नाम नक्शा में 100 फिट है लेकिन पट्टे में 50 फिट उसके पुत्र रूघाराम पुत्र भीका का प्लाट है इस प्रकार पट्टे में अंकित पडौस में भी वास्तविक मौका रिपोर्ट एवं पंचायत पत्रावली में अन्तर है। पत्रावली मं अंतिम बोली हेमाराम की रही का अंकन है लेकिम निलामी फर्द संलग्न नही है। जिससे यह स्पष्ट नही होता कि बोली किस किसने कितनी–कितनी लगाई एंव अन्तिम बोलीदाता की कब स्वीकृति दी गई निलामी फर्द पर बोलीदाता के हस्ताक्षर है या नही यह स्पष्ट नही होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 हेमाराम के अधिवक्ता ने शपथ पत्र पेश करते हुए कथन किया कि मौके पर मेरा प्लॉट आयताकार है तथा नक्शें मे त्रिभुजाकार दर्शाया हुआ है इससे हम दोनो ही पक्षकारों

जिला कलेक्टर, पाली

का मकान निर्माण इजाजत लेने में नाप–चौक करने में एंव हक अधिकार बाबत विवाद एवं परेशानियां हो रही है। इनको रोकने के लिए वर्तमान पट्टा निरस्त कर नया जारी कराने हेतु इसे निरस्त फरमाया जावे तो उसे कोई आपत्ती नही है। न ही पक्षकारों के हित के विपरित प्रभाव पडेगा न ही दुर्भीसंधी है। दोनो पक्ष समझौता कर नए पट्टे कब्जे अनुसार जारी कराना चाहते है इससे उभय पक्ष खर्चे से जैरबार नही होगें। अतः जैर निगरानी पट्टा जो अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जारी किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावे तो अप्रार्थी संख्या 02 सहमत है।

उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जारी जैर निगरानी पट्टे पर पट्टा बुक संख्या, पट्टा नम्बर आदि अंकित नही है न ही मिसल सख्या एवं वर्ष जिसके तहत पट्टा जारी किया गया का अंकन है ऐसी स्थिति में पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है। संकल्प रजिस्टर नही होने से भी यह नही माना जा सकता कि पंचातय द्वारा सकल्प लिया जाकर उसकी पालना में ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 हेमाराम पुत्र भेराराम जाट स्वय भी पट्टा निरस्त कराने हेतु सहमत है इस बाबत शपथ पत्र भी पेश किया गया है कि वह पट्टा निरस्त फरमाया जावें। जैर निगरानी पट्टे में अंकित पड़ौस रूघाराम को जारी पट्टे का नाप व पड़ौस भी मेल नही खाते है तथा पंचायत बेडकलां की पत्रावली में नक्शा अनुसार अप्रार्थी रूघाराम के निलामी से जारी पट्टे की निलामी फर्द भी सलंग्न नही है मात्र मिसल की आदेशिका में ही प्लॉट वाईज निलामी में अन्तिम बोलीदाता जिसके नाम की निलामी छुटी इसका ही अंकन है। ऐसी स्थिति में निलामी को भी नियमानुसार नही माना जा सकता है। उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत बेडकलां, पचांयत समिति जैतारण द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या .... दिनांक 28.08.1990 जो सकल्प संख्या 01 दिनांक 28.8.1990 की पालना में जारी किया गया उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली